कार्यालय जनपद न्यायाधीश, एटा।

प्रशासनिक आदेश सं. 143/2021, दिनांक 03 अप्रैल, 2021

आदेश

राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 10.04.2021 को आयोजित की गयी थी। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त मीमो/एसएलएसए–07/2021(पीएस/शरन), दिनांकित अप्रैल 02, 2021 द्वारा यह सूचित किया गया है कि दिनांक 10.04.2021 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत अब दिनांक 08.05.2021 को आयोजित की जायेगी।

इस तथ्य की सूचना प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, एटा एवं पीठासीन अधिकारी मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, एटा को प्रेषित कर दी जावे।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा इस सम्बन्ध में समस्त पारिणामिक कार्यवाही करें। राष्ट्रीय लोक अदालत से सम्बन्धित समस्त विभागों को यथाशीघ्र उक्त परिवर्तित तिथि सूचित कर दी जाये। सामान्य जनता एवं बार एसोसियेशन, एटा को भी इस सम्बन्ध में, वे सूचना प्रेषित कर दें। सामान्य जन मानस को उक्त तिथि परिवर्तित किये जाने की सूचना अखबार में प्रकाशन के माध्यम से दी जावे। यह आदेश जनपद एटा की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जावे।

केन्द्रीय नाजिर इस आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर तथा एक प्रति कलक्ट्रेट बार एसोसियेशन के बोर्ड पर भी चस्पा करवा देवें।

सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

03/04/2021

(मृदुलेश कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश, एटा।
03.04.2021

True Copy
03/04/2021
C.A.O.
Etah Judgeship
ETAH